



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

47 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही के तहत थाना महोली व थानगांव पुलिस द्वारा 05 व्यक्ति गिरफ्तार कर कुल 47 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी। विवरण निम्नवत् है-

1. थाना खैराबाद द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली0 शराब बरामद- दिनांक 15.10.2020 को 1.राम लखन पुत्र मंडारी निवासी ग्राम थाना मिश्रिख सीतापुर के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 468/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
2. थाना रेउसा द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद- दिनांक 15.10.20 को रमेश कुमार पुत्र राधेश्याम नि0 सेराम नगलेरी थाना रेउसा सीतापुर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 303/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
3. थाना अटरिया द्वारा 01 अभियुक्ता के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद- दिनांक 15.10.20 को चन्द्रकली पत्नी कमलेश नि0 गनेशपुर थाना अटरिया सीतापुर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 311/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

4. थाना कोतवाली द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 12 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद- दिनांक 15.10.20 को रामनाथ पुत्र छोटेलाल नि0 जगदीशपुर थाना कोतवाली सीतापुर के कब्जे से 12 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 609/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

5. थाना लहरपुर द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद- दिनांक 15.10.20 को राहुल पुत्र राम सिंह नि0 सुलेमानपुर थाना लहरपुर सीतापुर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 439/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।